न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
दिनेश बनाम राजस्थान सरकार
GCMS No- 2023/50
प्रकरण संख्या – 38/2023 प्रार्थना पत्र

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 38/2023 प्रार्थना पत्र
GCMS No. - 2023/50

1. श्री दिनेशचंद्र पिता लक्ष्मण जी धाकड़ निवासी दुधी तलाई तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़।

– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री सत्यमेव सेठिया – अधिवक्ता प्रार्थी
2– पेरोकार सरकार – स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक :–12.08.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि आराजी नंबर 2767/1608 रकबा 0.0100 हैक्टेयर मोजा निम्बाहेड़ा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा में स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजियात के साबिक आराजी नंबर 3806/1187 मीन रकबा 01 बिस्वा है।

2. उपरोक्त वर्णित साबिक आराजी के मूल आराजी नंबर 1187 मीन रकबा 8 बिघा था और उसमें से प्रार्थी ने श्रीमति सरस्मा पत्नी पी.के.जी. नायरू जाति ब्राहम्ण निवासी निम्बाहेड़ा से विक्रेता का 17/165 हिस्सा जो मौके पर 32 बाय 49 फिट कुल 1568 वर्ग फीट है, उसे जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.10.2023 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तभी से मौके पर प्रार्थी उक्त खरीदशुदा जमीन पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है।

3. उपरोक्त प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि 1568 वर्ग फीट है जिसका हैक्टेयर में नाप 0.01459 हैक्टेयर होता है लेकिन वर्तमान खातें में प्रार्थी के नाम पर मात्र 0.0100 हैक्टेयर भूमि ही दर्ज हुई है, जबकि प्रार्थी के नाम दर्ज आराजी नंबर 2767/1608 का नवीन रकबा 0.01459 हैक्टेयर दर्ज होना चाहिए था। लेकिन राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि से प्रार्थी के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में कम भूमि दर्ज हुई, जबकि मौके पर प्रार्थी के कब्जे में सम्पूर्ण 1568 वर्ग फीट भूमि मौजूद है जिसका मीटर में नाप 145.6 मीटर बनता है इसी हिसाब से नवीन रकबा 0.01459 हैक्टेयर दर्ज होना चाहिए था।

4. प्रार्थी को उक्त त्रुटि के संबंध में पहलीबार जानकारी हाल ही में प्रार्थी द्वारा रजिस्ट्री में दर्ज 1568 वर्ग फीट अनुसार उक्त आराजी नंबर 2767/1608 के रूपांतरण की पत्रावली लगायी तो पता चला कि राजस्व रेकॉर्ड में जमाबंदी में रकबा कम दर्ज है। इस पर जानकारी होते ही यह आवेदन पेश करना पड़ रहा है।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी [illegible] से इस अनुशंषा जांच रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की और निवेदन [illegible] की हाल आराजी नं[illegible]7/1608 रकबा 0.01 हैक्टेयर के गत आराजी नंबर 3806/1187 मी[illegible] रकबा 01 बिस्वा होकर ग[illegible]ल रेकॉर्ड मिलान क्षेत्रफल से मिलान होता है। उक्त आराजी वादी द्वारा क्रय करने के विक्रय पत्र में 1568 वर्गफिट यानि 1456 वर्गमीटर (0.0145 हैक्टेयर) विक्रय होना अंकन है। रकबा जमाबंदी में राउण्ड फिगर में दर्ज करने हेतु जमाबंदी, नामांतरणकरण व बटवांरा डिक्री में रकबा 0.0145 हैक्टेयर के बजाय 0.01 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:44:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

दर्ज होना जांच से स्पष्ट होता है। देखने बटंवारा डिक्री अनुसार रकबे का राउण्डफिगर करने वचत शेष रकबे का समायोजन मूल आराजी नंबर 1608 मीटर रकबा 2.55 में किया गया है जिसे पुनः बराबर किया जा सकता है। विक्रय पत्र अनुसार वादी श्री दिनेश पिता लक्ष्मण द्वारा रकबा 0.0145 हैक्टेयर क्रय किये जानें से हाल आराजी नंबर 2767/1608 का रकबा 0.0100 हैक्टेयर के बजाय 0.0145 हैक्टेयर दर्ज किया जाना व मूल आराजी नंबर 1608 मीटर रकबा 2.55 के बजाय 2.5355 हैक्टेयर दर्ज किया जाना उचित है।

6. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

7. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:***
>
> ***Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties***

8. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

9. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, तहसीलदार निम्बाहेड़ा की मय अभिशंषा प्राप्त रिपोर्ट एवं बहस में प्रकट तथ्यों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि वादग्रस्त आराजीयात वाके मौजा निम्बाहेड़ा में 2767/1608 रकबा 0.0100 हैक्टेयर स्थित है। उपरोक्त वर्णित साबिक आराजी के मूल आराजी नंबर 1187 मीन रकबा 8 बिघा था और उसमें से प्रार्थी ने श्रीमति सरस्मा पत्नी पी.के.जी. नायरू जाति ब्राहम्ण निवासी निम्बाहेड़ा से विक्रेता का 17/165 हिस्सा जो मौके पर 32 बाय 49 फिट कुल 1568 वर्ग फीट है, उसे जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.10.2023 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तभी से मौके पर प्रार्थी उक्त खरीदशुदा भूमि का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि 1568 वर्ग फीट है जिसका मीटर में नाप 0.01459 हैक्टेयर होता है लेकिन वर्तमान खातें में प्रार्थी के नाम कम भूमि दर्ज हुई है, जबकि प्रार्थी के नाम दर्ज आराजी नंबर 2767/1608 का रकबा 0.01459 हैक्टेयर दर्ज होना चाहिए था। लेकिन राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि से प्रार्थी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में कम भूमि दर्ज हुई, जबकि मौके पर प्रार्थी के कब्जे में सम्पूर्ण 1568 वर्ग फीट भूमि मौजूद है जिसका मीटर में नाप 145.6 मीटर बनता है इसी हिसाब से नवीन रकबा 0.01459 हैक्टेयर दर्ज होना चाहिए था। इसलिए प्रार्थी का मौके पर काबिज अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:44:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
दिनेश बनाम राजस्थान सरकार
GCMS No- 2023/50
प्रकरण संख्या – 38/2023 प्रार्थना पत्र

आदेश

तहसीलदार निम्बाहेड़ा से मय अभिशंषा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि वाके मोजा निम्बाहेड़ा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा की आराजी नंबर 2767/1608 रकबा 0.0100 हैक्टेयर तरमीम किए जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थी श्री दिनेश पिता लक्ष्मण द्वारा रकबा 0.0145 हैक्टेयर क्रय किये जाने से हाल आराजी नंबर 2767/1608 का रकबा रकबा 0.0100 हैक्टेयर के बजाय 0.0145 हैक्टेयर किये जाने व मूल आराजी नंबर 1608 मीटर का रकबा 2.55 के बजाय 2.5355 हैक्टेयर किये जाने का का आदेश दिया जाता है। नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। उपर्युक्तानुसार संशोधित प्रस्तावित हिस्सा अंकित अनुसार राजस्व रेकार्ड में तरमीम की जावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

(विकास पचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:44:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner